

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**॥ कार्यालय आदेश ॥**

सं०सं०-03/SBM-01-40/2018

१७

/न०वि०एवंआ०वि० (१०/५/२१/१९)

Solid Waste Management Rule-2016 के अंतर्गत Source Segregation एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी स्थानीय शहरी नगर निकायों में उक्त विषय के संबंध में व्यापक प्रचार - प्रसार किया जाना आवश्यक है, ताकि आम जनों को Source Segregation के संबंध में जानकारी दी जा सके। इसके लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर जगह - जगह Hoarding, Banner आदि लगवाना प्रस्तावित है। प्रचार - प्रसार हेतु Hoarding, Banner, Jingle आदि बेहतर ढंग से बनाये जाये, इसके लिए राज्य स्तर पर एक IEC कोषांग का गठन किया जाता है। इस कोषांग में निम्न IEC Expert शामिल होंगे:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम	योजना अंतर्गत PMU / PMC
1	श्री शान्तनु दास	IEC Expert, PMU-SBM
2	श्रीमती रानी चौबे	State Mission Manager, IEC, DAY-NULM
3	श्री विवेक कुमार पाण्डेय	IEC Zonal Head, DAY-NULM
4	श्री रमेश चंद्र देव	IEC Zonal Head, DAY- NULM
5	श्री राहुल देव	IEC Zonal Head, DAY- NULM

उपरोक्त सभी कर्मि मुख्यालय के कमरा सं०-18 में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को एक साथ बैठक कर प्रचार - प्रसार से संबंधित सभी सामग्री तैयार करेंगे एवं IEC का पूर्ण Strategy का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

- श्रीमती इंदु कुमारी, OSD (SBM) इस कोषांग की नोडल पदाधिकारी होंगी।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

विशेष सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक- 14/02/19

जापांक:-03/SBM-01-40/2018

1174

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / संबंधित सभी कर्मि / Team Leader, SBM- PMU / Team Leader, DAY-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव।